राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : डीसी–2 / ए–1 / जोधपुर–एचपी 51 / 2012 / 1386 दिनांक : 17/7/12

1. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान
2. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान

विषयः– मैं0 एरियन हैल्थकेयर, किशनपुरा, जिला सोलन (हि0प्र0) के नाम से बनाकर बेचे गये Inj. MERO-CD के जांच में नकली (SPURIOUS) घोषित होने बाबत।

सन्दर्भः– अलर्ट नोटिस क्रमांक डीसी / अलर्टनोटिस / 2012 / 995 दि. 28.05.12

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपको पूर्व में सन्दर्भित अलर्ट नोटिस से सूचित किया गया था कि उक्त कम्पनी के नाम से निर्मित Inj. MERO-CD एवं Inj. MEROSUL का निर्माण उक्त कम्पनी नें नहीं किया है, कम्पनी द्वारा इस आशय की पुलिस में सूचना देने पर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा 05 दवा विक्रेताओं के लाईसेन्स निरस्त (Cancel) एवं 04 दवा विक्रेताओं के लाईसेन्स निलम्बित (Suspend) किये गये है। संदिग्ध मुख्य अभियुक्त अभी तक पकड में नहीं आया है, जिसके लिए पुलिस एवं विभाग द्वारा प्रयास किये जा रहे है।

औषधि नियंत्रक (हिमाचल प्रदेश) नें उनके पत्र क्रमांक एचएफडब्ल्यू–एच (ड्रग)122 / 99 दिनांक 02.07.2012 से सूचित किया है कि उन्होनें मै0 एरियन हैल्थकेयर को Inj. MERO-CD एवं Inj. MEROSUL के निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं की है तथा उनकी जांच में पाया गया है कि कम्पनी द्वारा उक्त दोनों Injections का निर्माण नहीं किया गया है।

औषधि नियंत्रण अधिकारी, जोधपुर द्वारा Inj. MERO-CD 1gm., बैच नं0 44332, अवधिपार तिथि 08 / 2012 का नमूना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत जांच हेतु लेकर राजकीय विश्लेषक, औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, मुम्बई को भेजा गया था जहां से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त Injection अधिनियम की धारा 17(B) के तहत SPURIOUS घोषित किया गया है, क्योंकि सेम्पल Meropenem के लिए Identification test नहीं दे रहा है।

यह अत्यंत गम्भीर मामला है, जिसमें विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, परन्तु आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि बाजार में व अन्य सम्भावित सभी जगहों पर उक्त इन्जेक्शन की उपलब्धता के बारे में पूर्ण सतर्कता बरतते हुए निगरानी रखें, जब्त करें एवं नियमानुसार कार्यवाही कर सूचित करें।

औषधि नियंत्रक
राज0,जयपुर

प्रतिलिनि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, माननीय प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
4. निजी सचिव, माननीय प्रमुख शासन सचिव, (चिकित्सा शिक्षा) राजस्थान
5. औषधि महानियंत्रक (भारत) नई दिल्ली।
6. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राज0,जयपुर
7. प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडीकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर ।
8. निदेशक (जनस्वा/आरसीएच/एड्स/मोबाइल सर्जिकल/ईएसआई) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
9. संभागीय आयुक्त, जोधपुर ।
10. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज0,जयपुर ।
11. पुलिस आयुक्त, जोधपुर ।
12. जिला कलक्टर, जोधपुर।
13. समस्त अधीक्षक, एसोसियेट ग्रुप ऑफ हॉस्पीटल्स, राजस्थान
14. महाप्रबंधक, जोधपुर सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि0, जोधपुर ।
15. उप औषधि नियंत्रक (भारत) उत्तरीय क्षेत्र, गाजियाबाद ।
16. औषधि नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश, बद्दी ।
17. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान ।
18. थानाधिकारी प्रभारी, खाण्डा फालसा, जोधपुर ।
19. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय, मुख्यालय ।
20. प्रभारी सर्वररूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इसे विभागीय वैबसाइट पर डाल एवं सम्बंधित सभी अधिकारियों को भी ई–मेल से भी सूचित करें।

औषधि नियंत्रक
राज0,जयपुर

D:\Mukesh Ji\Letter.doc